उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-20/2017/489/92-1-2017-131आरईएस/2008

लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री राकेश कुमार जैन, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे-5400/- (वेतन बैण्ड-3) को अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे-6600/- (वेतन बैण्ड-3) के पद पर बन्द लिफाफे के सापेक्ष स्थानापन्न रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री राकेश कुमार जैन को अनुमन्य वेतन/मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

3- उपर्युक्त स्थानापन्न पदोन्नति पूर्णतया काम चलाऊ रूप से आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण होने तक, जो भी पहले हो तक के लिये की जा रही है।

4- उक्त पदोन्नति, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-31120/2016 राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-45(एस0बी0)/2017 योगेन्द्र नारायण चौधरी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5- अधिशासी अभियंता के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राकेश कुमार जैन अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे। श्री राकेश कुमार जैन की तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या-20/2017/489(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in